सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 31/18 निर्णय दिनांकः– 08.07.2019

1. सावित्री पत्नी भागचन्द जाति बिश्नोई निवासी रोड़ा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. मोहम्मद यासीन पुत्र नत्थुखॉ जाति मुसलमान निवासी चक 1 एमएमडब्ल्यूएम तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30–12–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 30–12–2016 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थिति स्मालपेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांटान की चक 9 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 182/5 के किला नम्बर 3 ता 25 में तादादी 22 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। इसी मुरब्बें के चिपते मुरब्बा नम्बर 184/4 के किला नम्बर 21 ता 24 की 4 बीघा भूमि स्मालपेच आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि थी जिस पर अपीलांट की भी वरियता बनती है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की चक 1 एमएमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 182/4 में स्थित है। ऐसी स्थिति में स्मालपेच आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता बनती है रेस्पोडेन्ट की ना तो वादगत् मुरब्बें में कोई भूमि निहित है व ना ही उनकी कोई वरियता बनती है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होने से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य काश्तकारों को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई

नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2010 पार्ट I राज पेज 174 व आरएलडब्ल्यू 2009 पार्ट II राज पेज 1394 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि चक 9 केएलडी के मुरब्बा नम्बर 182/04 में स्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् मुरब्बें में ही निहित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि पर रेस्पोडेन्ट की वरियता प्रथम मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के पसमर्थन में आरआरडी 1993 पेज 525 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अपीलांट का कथन है कि विवादित एवं रेस्पोडेन्ट को स्माल पेच के रूप में आवंटित भूमि मुरब्बा नम्बर 182/4 के किला नम्बर 21 ता 24 अपीलांट के मुरब्बें से सटकर होने के कारण वह आवंटन की पात्रता रखती थी परन्तु उसे आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 14 (1) में स्पष्ट प्रावधान है कि ''सरकारी भूमि का छोटा टुकड़ा ऐसे भूधृति काश्तकार जिसकी भूधृति भूमि ऐसे टुकड़ें से लगी गई है, को आवंटित की जायेगी। इसी क्रम में नियम 14 (2) में प्रावधान है कि उसी टुकड़ें के आवंटन करने के लिये एक से अधिक काश्तकार होने की स्थिति में आवंटन उसी मुरब्बें के काश्तकार को किया जायेगा।

रेस्पोडेन्ट यासीनखॉ ने उसी मुरब्बें की भूमि का भूधृति काश्तकार होने के कारण स्मालपेच आवंटन के लिये दिनांक 12—08—2016 को आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी ने उसी मुरब्बे तथा पड़ौसी मुरब्बें के काश्तकारों का विवरण पेश किया तथा दिनांक 30—12—2016 को आवेदक यासीन के पक्ष में आवंटन कर दिया गया। अपीलांट उसी

मुरब्बें का काश्तकार नहीं होने के कारण प्राथमिकता में नहीं आ रहा था तथा रेस्पोडेन्ट यासीन अकेला उसी मुरब्बें का चिपता काश्तकार होने के कारण अकेला ही आवंटन का पात्र था। अन्य मुरब्बें का व्यक्ति या अपीलांट यासीन के साथ आवेदन भी करता तो आवंटन में प्राथमिकता रेस्पोडेन्ट यासीन की ही थी। इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील पेश करने का पात्र नहीं है।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 30—12—2016 के विरूद्व अपील दिनांक 24—07—2018 को 17 माह विलम्ब से पेश की है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित किला नम्बर 21 ता 24 की पहली बार रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 01—07—2018 को काश्त करने का प्रयास करने पर उसे आवंटन की जानकारी हुई। रेस्पोडेन्ट ने उक्त स्मालपेच दिनांक 30—12—2016 को ही आवंटन करवा लिया था तो संभव है कि वर्ष 2017 के दौरान ही कब्जा भी लिया होगा। इस दौरान अपीलांट ने कभी भी उक्त रकबे के आवंटन एवं कब्जे के लिये जानकारी नहीं ली। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट सन् 2018 तक उक्त स्माल पेच भूमि के बारे में कोई रूचि नहीं रखता था तथा अन्य को आवंटित होने के 18 माह बाद उसे अचानक उक्त आवंटन आदेश की अपील करने का विचार उसके दिमाग में आया। अपीलांट द्वारा 17 माह के विलम्ब के लिये बताया गया कारण संतोषजनक नहीं है तथा विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्ट के अधिकार स्थापित हो चुके है। अतः अपील मियांद बाहर होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील प्रभावित पक्षकार नहीं होने तथा अपील मियांद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर